न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-424/2026
करण कुमार कमकर उर्फ करण कुमार खरवार बनाम् बिहार सरकार
[आंदर थाना कांड संख्या–24 / 2026]

आदेश

25.04.2026 आवेदक / अभियुक्त **करण कुमार कमकर उर्फ करण कुमार खरवार पे0 परमेश्वर प्रसाद** जो इस मामले में दिनांक **24.01.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या–424 / 2026, आंदर थाना कांड संख्या–24 / 2026, अंतर्गत धारा–191(2), 126(2), 115(2), 109(1), 118(2), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री अरबिंद कुमार त्रिपाठी एवं विपक्षी विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 22.01.2026 को समय करीब 14.30 बजे आंदर स्थित गैस एजेंसी से सटे अनोज चाय दुकान पर चाय पी रहा था। सूचक के साथ उसका एक दोस्त अनुप कुमार यादव भी था। उसी समय सुबोध सिंह सूचक को फोन कर गाली–गलौज करने लगा और जान से माने की धमकी देने लगा। कुछ देर बाद हीं 03 मोटरसाईकिल जिसपर 03–03 लोग सवार थे। उन सभी लोगों को देखकर हम भागने लगे। उपरोक्त सभी सूचक को जान मारने की नियत से सूचक के ऊपर पिस्टल से गोली चला दिये। एक गोली सूचक को दाहिने जॉघ पर लगी और वह वहीं गिर गया और देखा कि शिवम सिंह, करण राम, सुबोध सिंह, पंकज सिंह, सोनु सिंह, गोलु सिंह एवं तीन अज्ञात थे। गोली की आवाज सुनकर आस–पास के लोग इक्ट्ठा हो गये यह देख उपरोक्त सभी भाग गये। आस–पास इक्ट्ठा हुये लोग और साथ के दोस्त अनुप सूचक को जख्मी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आन्दर ले गये। जहॉ के चिकित्सक के द्वारा बेहतर इलाज हेतु सूचक को सदर हास्पिटल, सिवान रेफर कर दिया गया। जहॉ सूचक का इलाज हुआ। गोलीबारी की घटना 15.30 बजे लगभग की है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सूचक विक्की शेख उर्फ शोएब अख्तर द्वारा अ0नि0 रूबी कुमारी को दिये गये फर्दबयान के आधार परयह मामला पंजीकृत किया गया है। आवेदक की ओर से न ही कोई अग्रिम जमानत आवेदन और न ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना में या इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक के विरूद्ध हुसैनगंज थाना कांड संख्या–127 / 2023, आंदर थाना कांड संख्या–290 / 2025 पंजीकृत है जिसमें वह जामनत पर है तथा आंदर थाना कांड संख्या–330 / 2025 दोनो पक्षों के बीच सुलह हो चुका है। आवेदक दिनांक 24.01.2026 से बिना पुख्ता साक्ष्य के कारा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामलें में फंसाया गया है। प्राथमिकी में वर्णित सभी आरोप पूरी तरह से झूठा, निराधार एवं मनगढ़ंत है। इस मामलें में दी गई धाराएँ आवेदक के विरूद्ध बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। आवेदक के अपराध के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। आवेदक का घटना से कोई संबंध नहीं है क्योंकि आवेदक घटनास्थल पर मौजुद नहीं था बल्कि वह घर पर था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण आवेदक का नाम इस मामलें में आया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-424/2026
करण कुमार कमकर उर्फ करण कुमार खरवार बनाम् बिहार सरकार
[आंदर थाना कांड संख्या–24 / 2026]

लगातार
25.04.2026

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक / अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी आंदर थाना कांड संख्या–24 / 2026, अंतर्गत धारा–191(2), 126(2), 115(2), 109(1), 118(2), 352 भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक पर यह आरोप है कि आवेदक द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोलीबारी किया गया जिससे गोली सूचक के दाहिने जांघ में लगी। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 39 के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध दो मामले पूर्व से पंजीकृत है जबकि जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्ध तीन मामला पूर्व से पंजीकृत है। इस कांड के अनुसंधानक द्वारा इस मामलें में आरोप पत्र आवेदक एवं अन्य सहअभियुक्तों के विरूद्ध समर्पित किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 24.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक / अभियुक्त **करण कुमार कमकर उर्फ करण कुमार खरवार** को मो0 10,000 / – रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार अभियुक्त के करीबी रिश्तेदार होगें जो इस बात का अंडरटेकिंग देंगे कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देंगे। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं या विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त / आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित
ह0 / –
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 25.04.2026